राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र.स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	3648 / 2021	राधाकिशन	1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. पुलिस महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर। 3. पुलिस अधीक्षक, टोंक।
2.	3649 / 2021	धर्मपाल सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. पुलिस महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर। 3. पुलिस अधीक्षक, टोंक।
3.	3651 / 2021	अनिल कुमार	
4.	3653 / 2021	अयूब खान	
5.	3652 / 2021	प्रेम सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. पुलिस महानिरीक्षक, उदयपुर। 3. पुलिस अधीक्षक, राजसमंद।

आदेश की दिनांक : 23.10.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री कुणाल रावत, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीगण ने वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध पुलिस उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु नियमित प्रक्रिया के अंतर्गत प्रक्रिया में भाग लिया था। अपीलार्थीगण की पुलिस उप निरीक्षक के पद पर आदेश दिनांक 03.11.2015 से पदोन्नति दी गई। बाद में पुनः बोर्ड का गठन किया गया एवं बोर्ड द्वारा बैठक दिनांक 06.02.2019 के द्वारा रिव्यू कर अपीलार्थीगण का चयन वर्ष 2012–13 से 2016–17 किया गया, जिसके कारण अपीलार्थीगण की वरियता पर असर पड़ता है। अपीलार्थीगण वर्ष 2014 में सीधी भर्ती से चयनित पुलिस उप निरीक्षक से कनिष्ठ हो गये हैं।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को अजमेर रेंज की सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2012–13 में चयन सूची पर लिया गया था। परन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर द्वारा डी. बी. स्पेशल अपील संख्या 1004, 665, 667, 692, 693, 695, 829, 831, 1003, 1005 / 2015 में दिनांक 30 / 02 / 2017 को पारित निर्णय की पालना में

उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक (एपी/सीपी/आईबी) पद की योग्यात्मक परीक्षा का पुनरावलोकन करने एवं रिक्तियों का पुनः निर्धारण करने हेतु गठित बोर्ड द्वारा उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक पद की योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2009–10 से 2016–2017 का रिव्यू किया जाकर संशोधित रिक्ति के अनुसार तैयार की गई चयन सूची के कम में उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक पद की वर्ष 2009–10 से 2016–17 की चयन सूची रिव्यू होने के फलस्वरूप अजमेर रेंज की उप निरीक्षक पद की वर्ष 2009–10 से 2016–17 की रिक्तियों का पुनः निर्धारण करने एवं पूर्व चयन सूची को रिव्यू करने के कारण अपीलार्थी का चयन रिव्यू में वर्ष 2012–13 से 2016–17 में किया गया। इसके अतिरिक्त राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 36 (2) में स्पष्ट अंकित है कि "यदि किसी विशेष खण्ड में किसी पद पर दो या अधिक व्यक्ति एक ही वर्ष में नियुक्त किये जाते है, तो पदोन्नति से नियुक्त व्यक्ति, सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होगा।" इसलिये आर.पी.एस.सी. के नियुक्तिशुदा उप निरीक्षक को अपीलार्थी से वरिष्ठ रखा गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 5926/2022 राजस्थान राज्य बनाम कृष्णा कुमार एवं अन्य प्रकरणों में आदेश दिनांक 27.09.2022 पारित किया है, जिसमें पुलिस विभाग में पदोन्नति के मामले के संबंध में निम्न प्रकार से दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं:–

> "43. In view of the above discussion, allowing or dismissing the writ petitions will not solve the problem which can affect the rights of the employees in the department and it will be injustice to them by not giving them promotion in the year from which they are entitled and that will affect their work performance also. The respondent-State is duty bound more particularly the police department to determine the year wise vacancies as per the procedure prescribed under the Rules and to hold promotional activities every year as mentioned in the Rules of 1989 and to hold the departmental written examination for promotion from the post of Constable to Head Constable and from Head Constable to ASI. As recorded above, the State Government has admitted its mistake in their additional affidavit filed before this Court on 16.04.2022 that some mistake has been committed in calculating the year wise vacancy then no option left with this Court except to direct the State Government to again

determine the year wise vacancy, to hold the written examination every year and prepare the select list/approved list every year as per the Scheme of Rules of 1989. Now it shall determine the year wise vacancy as the officers of the department more particularly the Commissionerate of Jaipur has already failed in its duty to determine the year wise vacancy and complete the promotional exercise, therefore, under the facts and circumstances, I deem it just and proper to dispose of these writ petitions with the following directions :- (i) The Additional Chief Secretary (Home) is directed to constitute a High Level Committee of three members i.e. Secretary (Home), Secretary (DOP) & Additional Director General of Police (Recruitment) (ii) The Committee so constituted shall determine the year wise vacancies for promotion from the post of Constable to Head Constable and from Head Constable to ASI and shall complete the promotion process strictly in accordance with the Rules of 1989. (iii) In case of any difficulty in making the promotions the State Government is free to create superannuate posts in view of Rule 18 of RSR. (iv) The compliance be made within a period of six months. (v) The orders passed by the Tribunal impugned in the respective petitions stand modified accordingly in the above terms. "

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही करते हुए अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायिक निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें

और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थीगण के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)